न्यायालय मा० तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मिसल नम्बर 37/18 **तारीख रजू** 23/01/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का देवड़ ------- बनाम श्री किशनोसिंह ------पुत्र परसादी -----जाति जाट -- निवासी खोजवाड़ा --- तहसील – महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 13/03/18

आज यह पत्रावली बमुकाम --महवा--- हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री किशनोसिंह ------ **ने ग्राम** खोजवाड़ा ----- **को भूमि ख.न.** --560------- रकबा 0.02 **किस्म** गैरमुमकिन रास्ता **फसल रबि / ~~खरीफ~~ संवत 20** 74 ------- **में** --0.02-- कर अतिक्रमण किया है । इस पर **अप्रार्थी के विरूद्ध** प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। ~~उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया~~ उक्त जबाब में उसके द्वारा अपने बचाव मे कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नही किया है। मुताबिक रिपोर्ट **पटवारी अतिक्रमण** की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नही है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि **अप्रार्थी** को अतिक्रमित आराजी ख.न. 560 ------ रकबा 0.02 **किस्म** गैरमुमकिन रास्ता वाके ग्राम खोजवाड़ा -- से बेदखल किया जाता है । तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 0.64 का 50 गुणा 32 रु. शस्ति से दण्डित किया जाता है । तथा इस पर खडी फसल---गेहूँ----को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को ~~नष्ट~~ / नीलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों । तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावें । पत्रावली फैसल शुमार हो । नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(हस्ताक्षर)
नायब तहसीलदार
महवा (दौसा)

रजिस्टर ग/घ के पेज नं0...120.......पर
वर्ष 2017-18 ... नीलामी
की राशि तादादी ... 3222 रु....
की जमा कायमी ...
दिनांक 15/3/18 (हस्ताक्षर) तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील–महवा